विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4657
"परिशिष्ट अ"

कार्यालय कलेक्टर जिला धार म.प्र.

क्रमांक/ 283 /स्टेनो/अ.क./12 धार दिनांक 01.08.2012

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला धार (म.प्र.)

विषयः— शासकीय सहकारी सोसायटी के गेहू एवं केरोसीन की कालाबाजारी रोकने व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत्— आवेदक पुण्यपाल जैन, नि. 49, हटवाड़ा चौराहा, धार

संदर्भः— म.प्र. शासन, जनशिकायत निवारण विभाग के पी.जी. कोड पीजी/162827/2012/99 दिनांक 17.01.2012

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित शिकायत की जांच हेतु निर्देशित किया गया था जिसके पालन मे जिला आपूर्ति अधिकारी एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी धार से उत्तर प्राप्त किया गया। शिकायतकर्ता श्री पुण्यपाल जैन को उनके द्वारा दिये गये निवास स्थान पर सूचना पत्र जारी किया जाकर तहसीलदार धार के माध्यम तामिली करवाई गई। श्री जैन को उनके निवास स्थान पर पेशी दिनांक 01.06.2012 का सूचना पत्र दिनांक 30.05.2012 को स्वयं ने प्राप्त किया गया किन्तु श्री जैन निर्धारित पेशी पर उपस्थित नहीं हुए, न ही उसके पश्चात भी उपस्थित होकर साक्ष्य एवं प्रमाण प्रस्तुत किये गये।

जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा शिकायत में उल्लेखित संबंधित तथ्य पर स्पष्टीकरण दिया कि उनकी मिलीभगत से तिरला के उचित मूल्य दुकान के सेल्समेन महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा भारी मात्रा केरोसीन एवं गेहू का उंचे दामों पर विक्रय किया जा रहा है। यह आरोप उनके द्वारा निराधार बताते हुए यह भी उल्लेखित किया कि तिरला उचित मूल्य की दुकान पर महेन्द्र खण्डेलवाल नामक सेल्समेन नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह अप्रेल से मार्च 2012 तक उचित मूल्य की दुकानों के विरूद्ध 39 प्रकरण बनाये जाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग एवं घरेलू गैस का बड़े टैंकरों से छोटे सिलेण्डरों में तथा वाहनों में अवैध अंतरण एवं अनियमितता के संबंध में लगातार प्रकिया चल रही है। जिसके कारण गत वर्ष 2011—12 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कुल 108 प्रकरण पंजीबद्ध कर 2.15 करोड़ रूपये की सामग्री जप्त की जाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायालय से 7.58 लाख रूपये राजसात किये गये है। अभियोजन हेतु

..... 2 पर

अनुभाग अधिकारी,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय

आदेशित प्रकरणों में पुलिस के माध्यम से सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही भी प्रस्तुत की गई है। उन्होने यह भी उल्लेखित किया कि दिनांक 16.01.2012 को अनुविभागीय अधिकारी एवं अन्य द्वारा छापा मारकर 300 क्विंटल गेहू जप्त किया था। जिसकी उन्हें जानकारी इसलिये नहीं है कि वे दिनांक 16.01.2012 से 30.01.2012 तक अर्जित अवकाश पर थे। जानकारी मिली की उक्त कार्यवाही मण्डी अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है। इस प्रकार उनके द्वारा आवेदक की शिकायत को असत्य एवं निराधार बताया है।

श्री अमरसिंह अजनार, सहायक आपूर्ति अधिकारी, धार अपने उत्तर में उल्लेखित किया कि तिरला शासकीय उचित मूल्य दुकान पर अधिकृत रूप से भेरूलाल पाटीदार सेल्समेन गत 30 वर्ष से कार्यरत है। महेन्द्र खण्डेलवाल नामक व्यक्ति सेल्समेन नहीं है। उन्होने यह भी उल्लेखित किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग के 26 प्रकरण पंजीबद्ध कर 87 घरेलू सिलेण्डर जिनका मूल्य 528043–00 रूपये है, जप्त कर केरोसीन से चलने वाले वाहनों के 5 प्रकरणों में 550600/– रूपये जप्त किये गये। जिसमें से 3 प्रकरणों में एफआयआर दर्ज कराई गई। गैस से चलने वालों वाहनों में 10 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर 1188400/– रूपये के प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा 350000/– रूपये राजसात किये गये है। इस प्रकार उन्होने भी आवेदक द्वारा की गई शिकायत असत्य एवं निराधार बताया है।

चूंकि शिकायतकर्ता बावजूद सूचना के निर्धारित पेशी पर उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा बाद में कोई साक्ष्य एवं प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी धार एवं सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने की द्वेवशता से शिकायत की जाकर अधिकारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से की गई है। इसलिये उपरोक्त शिकायत आवेदक के द्वारा साक्ष्य एवं प्रमाण प्रस्तुत करने के अभाव में असत्य एवं निराधार होने से नस्तीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

(अशोक कुमार चौहान)
अपर कलेक्टर
जिला धार म.प्र.

सहायक अधिकारी,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
धार (म.प्र.)